

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3559

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

कुरुक्षेत्र में मंजूर पर्यटन परिपथ

3559. श्री नायब सिंह सैनी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण परिपथ- I एक और परिपथ- II को मंजूरी दे दी है और इसके अंतर्गत 48 “कोस” के अंतर्गत आने वाले 134 तीर्थ स्थानों के जीर्णोद्धार हेतु कोई योजना बनाने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग) : पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में 97.35 करोड़ रु. की राशि से “कुरुक्षेत्र, हरियाणा में महाभारत से संबंधित स्थलों में पर्यटन अवसंरचना के विकास” की परियोजना को स्वीकृति दी है और इस परियोजना के लिए 70.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस परियोजना में ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर, नरकाटारी तथा संहित सरोवर का विकास शामिल है। स्वीकृत संघटकों में पेयजल कियोस्क जन सुविधाओं आदि जैसी मूलभूत पर्यटक सुविधाओं के साथ निकटतम पहुंच, पर्यटक सूचना एवं सुविधा सेवा केंद्र, मल्टीमीडिया लेजर शो, प्रदर्शनी गैलरी, विद्युतीकरण तथा प्रकाश व्यवस्था, साइनेज, अग्रभाग संबंधी निर्माण कार्य, भित्ति चित्र संबंधी निर्माण कार्य, स्नान घाट, बुर्ज, पार्किंग, सीसीटीवी, वाई-फाई तथा सुरक्षा प्रणालियां आदि शामिल हैं।

मंत्रालय को 97.06 करोड़ रु. की राशि से “कृष्ण परिपथ चरण II के विकास” हेतु हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत तथा मेवात जिलों में 48 कोस की परिक्रमा के भीतर आने वाले विभिन्न तीर्थस्थानों के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

स्वदेश दर्शन योजना के तहत इन परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, उनके द्वारा योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और पूर्व में जारी निधियों की उपयोगिता की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
